न्यायालय राजस्व मण्डल,म0प्र0 ग्वालियर

समक्ष

एम0के0सिंह

सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 1886–एक/2014 – विरूद्ध आदेश दिनांक 5–5–2014– पारित व्दारा – अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना – प्रकरण कमांक 23/2012–13 निगरानी

राजेश कुमार पुत्र सालिगराम
ग्राम जैतपुरा (असवार)
तहसील लहार जिला भिण्ड। ---आवेदक

विरूद्ध

1– श्रीमती कल्पना पत्नि स्व. मधुसूदन
2– कु. पलक उर्फ जानू नावालिग
पुत्री मधुसूदन सरपरस्त माता
श्रीमती कल्पना
निवासीगण ग्राम जैतपुरा(असवार)
तहसील लहार जिला भिण्ड ---अनावेदकगण

(आवेदक के अभिभाषक श्री एस0के0अवस्थी)

(अनावेदकगण के अभिभाषक श्री रामसेवक शर्मा)

आ दे श

(आज दिनांक 19–1–2016 को पारित)

यह निगरानी कलेक्टर जिला भिण्ड द्वारा प्रकरण कमांक 23/2012–13 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 5–5–2014 के विरूद्ध मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत हुई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि मृतक मधुसूदन के नाम

मौजा जेतपुरा (असवार) स्थित भूमि सर्वे नंबर 922 रकबा 0.15 है. में से भाग 2/5 थी। अनावेदकगण व्दारा पटवारी हलका नंबर 25 को नामान्तरण का आवेदन दिया, जिस पर आवेदक व्दारा आपत्ति करने पर तहसील न्यायालय में कार्यवाही हेतु प्रस्ताव दिया गया। तहसीलदार लहार ने प्रकरण कमांक 215/11-12 अ-6 दर्ज कर पक्षकारों की सुनवाई प्रारंभ की। सुनवाई के दौरान आवेदक ने मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 32 के अंतर्गत आपत्ति प्रस्तुत कर वादोक्त भूमि एंव उस पर बना मकान स्वंय् व्दारा क्रय किये जाने का उल्लेख कर नामान्तरण की मांग की। तहसीलदार ने अंतरिम आदेश दिनांक 1-9-2012 से आवेदक की आपत्ति इस आधार पर निरस्त कर दी, कि वादग्रस्त भूमि स्व. मधुसूदन के नाम पर है। इस आदेश के विरूद्ध आवेदक ने कलेक्टर भिण्ड के समक्ष निगरानी कमांक 23/12-13 प्रस्तुत की। कलेक्टर भिण्ड ने आदेश दिनांक 5-5-14 से निगरानी प्रचलनशील न पाने से अग्राह्य कर दी। इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी है।

3/ निगरानी मेमो में उठाये गये बिन्दुओं पर उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्को पर विचार करने एंव अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से परिलक्षित है कि कलेक्टर भिण्ड ने आदेश दिनांक 5-5-14 से निगरानी इस आधार पर अग्राह्य की है क्योंकि वादग्रस्त भूमि एंव उस पर निर्मित भवन मृतक मधुसूदन के नाम है जो उसके व्दारा क्रय की गई संपत्ति है पैत्रिक संपत्ति नहीं है। हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 9 में प्रावधान है कि पति के देहान्त

के वाद उसकी पत्नि वर्ग एक की उत्तराधिकारी है। इसलिये तहसीलदार तहसीलदार लहार ने प्रकरण कमांक 215/11-12 अ-6 मे पारित आदेश दिनांक 1-9-12 से आवेदक का आपत्ति आवेदन निरस्त किया है। फलतः तहसीलदार व्दारा पारित अंतरिम आदेश दिनांक 1-9-12 एंव कलेक्टर भिण्ड व्दारा पारित आदेश दिनांक 5-5-14 में निकाले गये निष्कर्ष समरूप हैं जिसमें किसी प्रकार का दोष दिखाई नहीं देता।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी सारहीन पाये जाने से निरस्त की जाती है तथा कलेक्टर भिण्ड व्दारा निगरानी प्रकरण कमांक 23/12-13 में पारित आदेश दिनांक 5-5-14 उचित पाये जाने से यथावत् रखा जाता है।

(एम0के0सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर